न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट, नागौर

बइजलास– श्री अशोक कुमार, आर0ए0एस0

परिवाद संख्या – 02/2018

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, जोन अजमेर।		1हनुमान प्रसाद भूतडा पुत्र गुलाबचंद भूतडा जाति वैश्य निवासी पलोडो की पोल, चारभुजा मंदिर के पास, मेडतासिटी। 2फर्म –मैसर्स भूतडा किराना स्टोर, रेलवे स्टेशन के सामने, मेडतासिटी, जिला नागौर।

आदेश

दिनांक : 28-06-2018

1. शासन उप सचिव, कार्मिक विभाग, राजस्थान–सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक प.1(2) कार्मिक/क–4/08 जयपुर दिनांक 5-04-2012 के द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उप धारा 1 के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिलों में कार्यरत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेटों को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधीनस्थ कार्यक्षेत्र के लिये न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त है।

2. खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत परिवाद इस आशय का प्रस्तुत किया है कि –

2(1). प्रार्थी दिनांक 09-03-2017 को समय 01:30 बजे (PM) बहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी मेडतासिटी स्थित मैसर्स भूतडा किराना स्टोर पर पंहुचा। प्रार्थी ने अपना परिचय दिया, परिचय लिया, परिचय पत्र दिखाया। मौके पर हनुमान प्रसाद भूतडा पुत्र गुलाबचंद भूतडा आम जनता को रिफाइण्ड सोयाबीन तेल (पैक्ड) विक्रय कर रहा था। निरीक्षण के समय रिफाइण्ड सोयाबीन तेल (पैक्ड) के करीब 60–70 लीटर 500–500 मिली लीटर की प्लास्टिक की बोतलों में रखा हुआ, जिसको एफएसएसए 2006 के तहत देखने पर मानक स्तर का नही होने पर शक हुआ। शक होने पर प्रार्थी ने विक्रेता को प्रपत्र 5 अ, भर कर दिया, जिस पर प्रार्थी, गवाह एवं विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। प्रार्थी ने प्रपत्र 5 अ देने से पहले विक्रेता को यह बता दिया कि रिफाइण्ड सोयाबीन तेल (पैक्ड) का नमूना एफएसएसए के तहत ले रहा हूं। विक्रेता से खाद्य अनुज्ञा पत्र मांगा, जो मौके पर मौजूद था।

2(2). कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा, उक्त AJ-881 रिफाइण्ड सोयाबीन तेल करीब 60–70 लीटर 500–500 एमएल की प्लास्टिक की बोतलों में रखा हुआ था। जिसमें से (500–500 एमल X 4 पैकेट) 2 लीटर हूबहू मूल पैक्ड खरीदी, जिसकी कीमत विक्रेता हनुमान प्रसाद भूतडा को रू. 200/– (दो सौ रू.) नगद देकर रसीद प्राप्त की। जिस पर विक्रेता, उपस्थित गवाह एवं प्रार्थी ने हस्ताक्षर किये।

2(3). कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने रिफाइण्ड सोयाबीन तेल (पैक्ड) की 4 बोतले (500 एमएल X 4 बोतल) भाग पैक्ड हूबहू मूल 4 बोतल खरीदी। खरीदसुदा 4 बोतलों को बराबर बराबर 4 भागों को विक्रेता एवं गवाहों को दिखाकर रिफाइण्ड सोयाबीन तेल (पैक्ड) चार लेबल तैयार किये जिन पर डी.ओ. के कोड व क्रमांक वस्तु का नाम, दिनांक व स्थान का नाम अंकित किया। प्रत्येक लेबल पर प्रार्थी, विक्रेता एवं गवाहान ने हस्ताक्षर किये। उक्त तैयार लेबल में से एक एक लेबल प्रत्येक नमूने पर गोंद से चिपकाया। चारों नमूनों को अलग–अलग भूरे कागज में लपेटकर किनारों को गोंद से चिपकाया। प्रत्येक भाग पर डॉ वन्दना चौधरी डी.ओ. एंव उप निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जोन, अजमेर के हस्ताक्षर युक्त पेपर स्लिप नं. AJ-881 नियमानुसार चारों नमूनों पर नीचे से ऊपर तक गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांधा एवं नियमानुसार सील चपडी की लगाई। चारों नमूना के रेपर पर डीओ कोड एवं सीरीयल नंबर, दिनांक, वस्तु का नाम व स्थान अंकित कर प्रार्थी ने अपने हस्ताक्षर किये। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार पेपर स्लिप से होते हुए रेपर पेपर तक करवाये, गवाह के हस्ताक्षर करवाये और चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया।

2(4). कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर मौका फर्द तैयार कर हस्ताक्षर किये। विक्रेता एवं गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे विक्रेता एवं गवाह ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर स्वविवेक से पूर्ण होशहवाश में हस्ताक्षर किये। जिस सील से नमूना सील चपडी किया उसका मोनोग्राम मौके पर मौका फर्द पर अंकित किया।

2(5). कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं.6 की छः प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति आउटर कवर में सीलबंद कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर को श्री उम्मेदसिंह वार्ड बॉय ने जमा कराकर रसीद प्राप्त की। दो फार्म सं. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बंद कर चपडी से सील मोहर कर

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
नागौर

खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर को श्री उम्मेदसिंह वार्ड बॉय ने जमा कराकर रसीद प्राप्त की। शेष दो सील बंद नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बंद कर तथा नमूने का चौथा भाग डॉ वन्दना चौधरी डी.ओ. एवं उप निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, अजमेर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

2(6). कि आवेदक को डी.ओ. एवं उप निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, जोन अजमेर के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2017/2310 दिनांक 31.03.17 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जांच रिपोर्ट एल.एस 229/एक्ट/2017/230 दिनांक 23-03-17 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ रिफाइण्ड सोयाबीन तेल (पैक्ड) का नमूना मिथ्याछाप होना पाया गया। जांच रिपोर्ट के अनुसार उपरोक्त अभियुक्तगण अवमानक एवं मिथ्याछाप खाद्य पदार्थ के निर्माण एवं विक्रय किये जाने का एफ.एस.एस.ए. 2006 की धारा 26 उप धारा (2)(ii) का उल्लंधन किया है, जो कि एफ.एस.एस.ए.2006 की धारा 52 के तहत जुर्माना योग्य अपराध होने से अप्रार्थीगण को जुर्माने से दण्डित किए जाने हेतु निवेदन किया गया।

3. खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह परिवाद दिनांक 06-03-2018 को इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है, जो दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। जिसमें अप्रार्थीगण द्वारा अपना जवाब दिनांक 22.05.18 को पेश किया गया। अप्रार्थीगण ने अपने जवाब बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने तारीख 09.03.17 को मेरी दुकान से सोयाबीन तेल पैक का नमूना लिया। जो मिसब्रान्ड पाया गया। भविष्य में इस तरह के मिसब्रान्ड तेल नही बेचूँगा। मैं छोटा दुकानदार हूँ। मुझ पर कम से कम जुर्माना कर दोष मुक्त करने की कृपा करावे। आईन्दा गलत नही करूंगा।

4. पत्रावली पर उपल्बध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात एवं खाद्य विश्लेषक से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/229/एक्ट/2017/230 दिनांक 23-03-17 के अनुसार खाद्य पदार्थ रिफाइण्ड सोयाबीन तेल (पैक्ड) का नमूना मिथ्याछाप पाया गया है। अप्रार्थीगण ने नमूना जांच हेतु लिया जाना व मिथ्याछाप होने के तथ्यों को स्वीकार भी किया है। अप्रार्थीगण मिथ्याछाप उत्पाद विक्रय करने के लिए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 और विनियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) के लिए दोषी है। जिसके लिये उपरोक्त अधिनियम की धारा 52 के तहत शास्ति आरोपित किये जाने का प्रावधान किया हुआ है। इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा खाद्य एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) का उल्लंधन करने पर अप्रार्थीगण पर संयुक्त रूप से 5,000/– अक्षरे रूपये पांच हजार की शास्ति आरोपित की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं संबंधित अप्रार्थीगण को भिजवाने हेतु अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर को भेजी जावे। अप्रार्थीगण से उपरोक्त शास्ति राशि वसूल कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर के कार्यालय में ट्रेजरी चालान के माध्यम से निर्णय तिथि के एक माह के अन्दर जमा करवाई जाकर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। यदि अप्रार्थीगण निर्धारित समयावधि में शास्ति राशि जमा करवाने में असफल रहता है तो अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर इस संबंध में बनाए गए नियमों के अंतगर्त वसूली की कार्यवाही भी सुनिश्चित करेंगे।

5. आदेश लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार)
अति. जिला मजिस्ट्रेट, नागौर
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
नागौर

न्यायालय अति. जिला मजिस्ट्रेट नागौर (राज.)